संख्या-87/2021/1423/52-1-2021-12(पी0एम0जे0वी0के0)/21

प्रेषक,

इच्छाराम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2021

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 32वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 23.03.2021 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-अमेठी, बागपत, अयोध्या, फतेहपुर, मेरठ रायबरेली एवं सिद्धार्थनगर में स्वीकृत 44 ट्वायलेट ब्लाक् के निर्माण हेतु केन्द्रांश की **प्रथम किश्त** की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/14/2021-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0, दिनांक 27.03.2021 द्वारा उक्त योजना हेतु कुल अनुमोदित लागत रू0 144.53 लाख से प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)** से कराने हेतु कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 86.718 लाख के सापेक्ष **प्रथम किश्त** के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 43.359 लाख (रूपये तिरालिस लाख पैंतिस हजार नौ सौ मात्र) योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखाशीर्षक 4235-02-800-01-0107 में प्राविधानित बजट रू0 1000.00 एवं लेखाशीर्षक 4235-02-800-01-0109 में प्राविधानित बजट रू0 9000.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(केन्द्रांश-60, राज्यांश-40) (रू0 लाख में)

क्र	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित **प्रथम किश्त**		कुल प्रस्तावित धनराशि (के+रा)	लेखाशीर्षक
								केन्द्रांश	राज्यांश		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	अमेठी	वि0ख0 सिंहपुर के राजकीय इण्टर कालेज में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	1	1.19	0.714	0.476	1.19	0.357	0.00	0.357	4235-02-800-01-0109
2	बागपत	वि0ख0 बागपत, बरौत, बिनौल, छपरौली, पिलाना के 06 राजकीय इण्टर कालेजों में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	6	14.1	50.76	33.84	84.60	25.38	0.00	25.38	4235-02-800-01-0109
3	अयोध्या	वि0ख0 अयोध्या के 02 प्राइमरी स्कूलों में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	2	0.39	0.468	0.312	0.78	0.234	0.00	0.234	4235-02-800-01-0107
4	फतेहपुर	वि0ख0 फतेहपुर के 02 प्राइमरी स्कूलों में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	2	1.07	1.284	0.856	2.14	0.642	0.00	0.642	4235-02-800-01-0107
5	मेरठ	जनपद मेरठ के 20 प्राइमरी स्कूलों में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	20	0.93	11.16	7.44	18.6	5.58	0.00	5.58	4235-02-800-01-0107
6	मेरठ	वि0ख0 सुरूरपुर के हाई स्कूल में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	1	14.1	8.46	5.64	14.1	4.23	0.00	4.23	4235-02-800-01-0109
7	मेरठ	वि0ख0 मेरठ के हाई स्कूल में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	1	2.53	1.518	1.012	2.53	0.759	0.00	0.759	4235-02-800-01-0109
7	मेरठ	वि0ख0 मेरठ, खरखौंदा एवं परीक्षितगढ़ के 03 राजकीय इण्टर कालेजों में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	3	2.53	4.554	3.036	7.59	2.277	0.00	2.277	4235-02-800-01-0109
8	रायबरेली	वि0ख0 रायबरेली के 04 अपर प्राइमरी स्कूल एवं 02 प्राइमरी स्कूल में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	6	1.5	5.40	3.60	9.00	2.70	0.00	2.70	4235-02-800-01-0107
9	सिद्धार्थनगर	वि0ख0सिद्धार्थनगर के 01 प्राइमरी स्कूल एवं 01 अपर प्राइमरी स्कूल में ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण	2	2	2.40	1.60	4.00	1.20	0.00	1.20	4235-02-800-01-0107
		योग	**44**		86.718	57.812	144.53	**43.359**	**0.00**	**43.359**	

उपरोक्त उल्लिखित तालिका में अंकित परियोजना के सम्बन्ध में 32वीं इम्पावर्ड कमेटी में स्वीकृत ट्वायलेट ब्लाक की जनपदवार सूची निम्नवत् है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	जिला	ब्लाक	स्कूल का नाम	इकाई सं0	स्कूल की श्रेणी
1	मेरठ	खरखौंदा	पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इण्टर कालेज, खरखौंदा	1	इण्टर कालेज
2	मेरठ	सुरूरपुर	राजकीय हाई स्कूल, खिवई	1	हाई स्कूल
3	मेरठ	परीक्षितगढ	राजकीय बालिका इण्टर कालेज	1	इण्टर कालेज
4	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, जाहिदपुर	1	प्राइमरी स्कूल
5	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, मेडिकल कैम्पस	1	प्राइमरी स्कूल
6	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, अब्दुल्लापुर-1	1	प्राइमरी स्कूल
7	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, नूर नगर	1	प्राइमरी स्कूल
8	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, फाजिलपुर	1	प्राइमरी स्कूल
9	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, ठपेर नगर फजलपुर	1	प्राइमरी स्कूल
10	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, नगला शेरखान जैनपुर	1	प्राइमरी स्कूल
11	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, गोलाबर्रा	1	प्राइमरी स्कूल
12	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल जैदी नगर	1	प्राइमरी स्कूल
13	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, रेथनी-2	1	प्राइमरी स्कूल
14	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, फतेहउल्लापुर	1	प्राइमरी स्कूल
15	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, एम0 पुर लाला	1	प्राइमरी स्कूल
16	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, खेसरू बक्शरनगर	1	प्राइमरी स्कूल
17	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, लखवाया रसूलपुर	1	प्राइमरी स्कूल
18	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, मकबरा-2	1	प्राइमरी स्कूल
19	मेरठ	मेरठ नगर	राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, केसरगंज मेरठ	1	जूनियर हाई स्कूल
20	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, (बी) प्रहलाद नगर	1	प्राइमरी स्कूल
21	मेरठ	मेरठ नगर	जूनियर बालिका हाई स्कूल, कृष्णापुरी	1	जूनियर हाई स्कूल
22	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, कम्बोह गेट सोफिपुर	1	प्राइमरी स्कूल
23	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, साबुन गोदाम	1	प्राइमरी स्कूल
24	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, खण्डक (मिलयाना-3)	1	प्राइमरी स्कूल
25	मेरठ	मेरठ नगर	प्राइमरी स्कूल, अन्डरकोट बेलपथ्थर कालोनी	1	प्राइमरी स्कूल
26	बागपत	बढ़नी	प्राइमरी स्कूल, मिश्रौलिया	1	प्राइमरी स्कूल
27	बागपत	बागपत	राजकीय बालिका इण्टर कालेजख्, बागपत	1	इण्टर कालेज
28	बागपत	बरौत	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बावली	1	इण्टर कालेज
29	बागपत	बिनौली	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, दाहा	1	प्राइमरी स्कूल
30	बागपत	डुमरियांगज	प्राइमरी स्कूल, डुमरियांगज-1	1	प्राइमरी स्कूल
31	बागपत	डुमरियांगज	जूनियर हाई स्कूल कन्या, डुमरियांगज	1	जूनियर हाई स्कूल
32	सिद्धार्थनगर	डुमरियांगज	प्राइमरी स्कूल, महुआखुर्द	1	प्राइमरी स्कूल
33	सिद्धार्थनगर	डुमरियांगज	जूनियर हाई स्कूल, भदरिया	1	जूनियर हाई स्कूल
34	सिद्धार्थनगर	डुमरियांगज	प्राइमरी स्कूल, भगौभर	1	प्राइमरी स्कूल
35	सिद्धार्थनगर	डुमरियांगज	जूनियर हाई स्कूल कन्या, भगौभर	1	जूनियर हाई स्कूल
36	सिद्धार्थनगर	डुमरियांगज	प्राइमरी स्कूल, भलूकोनी	1	प्राइमरी स्कूल
37	सिद्धार्थनगर	डुमरियांगज	प्राइमरी स्कूल, झहरव	1	प्राइमरी स्कूल
38	सिद्धार्थनगर	डुमरियांगज	प्राइमरी स्कूल, अमुनापाण्डेय	1	प्राइमरी स्कूल
39	सिद्धार्थनगर	खुनियांव	जूनियर हाई स्कूल, गौरा बाजार	1	जूनियर हाई स्कूल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

40	सिद्धार्थनगर	खुनियांव	अपर प्राइमरी स्कूल, बारीकपुर	1	अपर प्राइमरी स्कूल
41	सिद्धार्थनगर	खुनियांव	पी0एम0वी0 कटेश्वरनाथ (रामवपुर शीर)	1	अपर प्राइमरी स्कूल
42	सिद्धार्थनगर	खुनियांव	प्राइमरी स्कूल, अमरपुर (धौभा)	1	प्राइमरी स्कूल
43	सुल्तानपुर	कुडवर	प्राइमरी स्कूल, बचनपुर	1	प्राइमरी स्कूल
44	गोण्डा	गोण्डा	फकरूद्दीनअली अहमद राजकीय इण्टर कालेज	1	इण्टर कालेज
45	गोण्डा	गोण्डा	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गोण्डा	1	इण्टर कालेज
			योग	**44**	

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार **प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा** तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित अवधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।**

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6)- कार्य की विशिष्टयॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग की जायेगी ।

(8)- **धनराशि आहरित कर बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी।** उपरोक्त परियोजनाओं हेतु मांगी गयी एवं जारी की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

9)- **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2021, 20.01.2021, 09.12.2020, 29.09.2020, 11.04.2020 एवं 24.03.2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(10)- **लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।**

(11)- **कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।**

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

(17)- निर्माण कार्य निर्विवादित भूमि पर ही किया जायेगा तथा निर्विवादित भूमि की उपलब्धता जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी विवादित स्थल पर निर्माण कार्य न किया जाय । सम्बन्धित परियोजना हेतु धनराशि जारी करने से पूर्व परियोजना के लिए निंविवादित एवं उपयुक्त भूमि की उपलब्धता निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सुनिश्चित की जायेगी यदि उपयुक्त/निर्विवादित भूमि पर परियोजना का निर्माण न होने की स्थिति में धनराशि के निष्फल व्यय की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(18)- **उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।** अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा कर लिया जायेगा तथा शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार थर्ड पार्टी का निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाना जिलाधिकारी, कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित विभाग का संयुक्त दायित्व होगा। यदि गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिकायत आती है तो उसे शासन तथा निदेशक,अल्पसंख्यक कल्याण को सूचित किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के कार्यों की गुणवत्ता रिपोर्ट जिलाधिकारी से प्राप्त करने का दायित्व निदेशालय का होगा।

(19)- पीएफएमएस डिवीजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23.03.2021 में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि निर्गत किये जाने की प्रक्रिया तथा अवमुक्त धनराशि के उपभोग के अनुश्रवण के सम्बन्ध में दी गयी सभी शर्तो/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20)- योजन्तर्गत बाटआउट आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

4- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- **"0107-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण (के0 60/रा0 40-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य " " 0109-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण (के0 60/रा0 40-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य "** के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-1044/दस-2021-2022, दिनांक 16.09.2021 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

संख्या-1423(1)/बावन-1-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत कार्य में निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, **उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13- लेखाधिकारी/ वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in